

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मेरठा नगर

Annexure - 2

No. ८५

दस्तावेज अवलम्बन - शोपाल - ५०२००५  
= = = = = = = = = = = =

क्रमांक - संख. ७३ - १२५/२०-३/२००३

शोपाल, दिनांक - २५/३/२००४ /अप्रैल-२००४.

उपरीम, २२

तथिद,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
इति-पिहार- नई दिल्ली ।

विषय :- अशातकीय छात्रसंघ अकादमी स्कूल- तत्त्वा (मध्यप्रदेश)  
को ही. वी. एस. ई. / आई.सी.एस.ई. ते तम्बद्धता हेतु सन.ओ. ही.  
देने वादह ।

== ०० ==

राज्य शासन द्वारा अशातकीय छात्रसंघ अकादमी स्कूल- तत्त्वा (मध्यप्रदेश)  
को ही. वी. एस. ई. / आई.सी.एस.ई. ते तम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण  
पत्र विशेष प्रदर्शन कानकर निम्नलिखित गोर्खों पर दिया जाएगा :-


01. तंत्या को अपनी कार्य सक्षिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी  
को रुधरे को पा उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे  
प्रतिनिधि के लिए भी एक प्राध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयन (परीक्षा) को  
पा उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. दीनियत निर्जनों के छन दौनों वर्तीनी, हाथों वो आवंतित हरना  
होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रबार - प्रतार के लिए लिये गये निर्धारों  
में दृष्टि लेना ते छिन्हों जार्यों को उद्देशा की राती है तो ऐसे लायों  
को शिर्घात को करना होगा ।
04. दूसरे निर्धारितिवालों वे अदि संघर्ष तो सदाचारा गहना वा राजा  
वा दरबार विरोग होने वाली अदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
वा दूसरे निर्धारितिवालों वा अन्य वो शासनिक वर्गों वो शासनिक वर्गों वो वो

12 2 11

3.

संघटनाएँ वार्षिकों को संप्राप्ति करने के लिए बहुत सीधा पा  
म्भन या रुक्मि एवं नेटवर्कों को आवश्यक होगी को उन्हें  
उत्तरदाता होगा ।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम हैं  
तथा आदेशानुतार

  
संभूत  
संभूत अधीक्षित

म०५० शातक, रुक्मि शिक्षा विभाग

दृढ़ठांडन दुर्बाल संख्या 73-125/20-3/2003

भौपाल, दिनांक-23/जूली

इतिविषय :-

1. इत्युक्त, लौक विद्यालय, म०५० भौपाल ।

2. वित्त विभाग अधिकारी, वित्त - तत्त्वा {म०५०} ।

3.  शायार्थ, अशोक अनुसन्धानी रक्त- तत्त्वा {मध्यप्रदेश} ।

इन दोनों दृचनार्थ सबं आवश्यक कार्यवाची हेठले अंगैष्टि हैं ।

4- आईट बैंक ।

  
अधीक्षित  
संभूत अधीक्षित

म०५० शातक, रुक्मि शिक्षा विभाग




// संभूत //

११-०७-०३

// १९-०४-२००४ //

प्रस्तुप 2 (नियम 11 (4) दोहिए)



वर्ष विद्या अधिनियम  
वर्ष विद्या अधिनियम

## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SATNA), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

दिनांक:-

क्रमांक:/13081572/स्कूल आई.डी. - 34002  
प्रति,

प्रबंधक,

(BLOOMS ACADEMY, SATNA)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/02/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -BLOOMS ACADEMY, SATNA, PATERI (NH-7) PANNA ROAD SATNA को कक्षा KG-I से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यतावस्थादता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के विचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा वर्षात् कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपिटेन्शन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अविभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सहूल के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा जाए है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल मुनिशित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को जारीरिक या मानसिक रूप से प्रतादित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम की उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; वर्षात् कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;

Signature valid

Digitaly signed by  
TARUNENDRA KUMAR SINGH  
Date: 2020-06-23 14:56  
IST  
Reason: Digitally Signed  
Location: NIC

प्रायवेट ट्रीविंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/तैयारी।  
स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयी:-

सुविधाएं	पोर्टल से दर्जे	वास्तविक स्थिति
8 स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20234	20234
10 स्कूल का निश्चित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	4046	4000
11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	8092	8000

#### इ. अधोसरचना का विवरण

	Rooms as per RTE		पोर्टल से दर्जे	वास्तविक स्थिति
कक्ष	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	15	300	10	300
2 कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	3	180	2	180
3 भोजनालय-सह-भण्डार	1	500	0	0

#### इ. अन्य सुविधाएं

	पोर्टल से दर्जे	वास्तविक स्थिति
1 क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2 पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3 खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4 पुस्तकों की संख्या	3014	3014
5 पत्रिकाएं/समाचार पत्र	6	6
6 पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7 पेयजल सुविधा की संख्या	6	6
8 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9 लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	3
10 लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	3
11 विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	0
12 क्या अनिन्दित सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..13081572.. एवं डाइसकोड (DISE) 23130722111 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपांध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला SATNA

मध्यप्रदेश

Principal  
Satsnayans Academy Satna  
C.B.S.E. New